सार्वजनिक सूचना

आवासीय भूखण्ड योजना 2009(1) के अन्तर्गत जिन आवंटियों द्वारा आवंटित भूखण्ड के सापेक्ष 75 प्रतिशत से अधिक की धनराशि जमा करायी जा चुकी है उनके द्वारा देय किश्तों का एक मुश्त भुगतान बिना दण्ड ब्याज (Penal Interest) के दिनांक 30.09.2017 तक किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उक्त योजना के अन्तर्गत आवंटित भूखण्ड को प्राधिकरण के पक्ष में दिनांक 30.09.2017 तक भूखण्ड समर्पण आवेदन प्राधिकरण में प्रस्तुत कर अपनी जमा धनराशि (Penal Interest के अलावा) 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर के साथ वापस ले सकता है। यदि आवंटी द्वारा एक मुश्त लीज रेन्ट जमा करा रखा है तो लीज डीड की तिथि से सरेण्डर की तिथि तक का लीज रेन्ट छोडकर, शेष लीज रेन्ट की धनराशि वापस ले सकता है। विस्तृत जानकारी के लिये प्राधिकरण की बेवसाईट www.yamunaexpresswayauthority.com पर प्राप्त की जा सकती है।

~~विशेष~~ कार्याधिकारी/
प्रभारी अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, ब्लॉक–पी–2, सेक्टर ओमेगा–1, ग्रेटर नौएडा सिटी – 201308, जिला–गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0)

दूरभाष न0 – 0120 – 2395201, फैक्स न0 – 0120 – 2395150

सार्वजनिक सूचना

प्राधिकरण द्वारा आवंटित समस्त प्रकार की परिसम्पत्तियों के विरूद्ध देय धनराशि (डिफाल्टिड एमाउन्ट) के भुगतान हेतु जिन आवंटियों द्वारा वर्तमान तक किश्तों के पुनर्निर्धारण की सुविधा का उपयोग नहीं किया गया है उन समस्त आवंटियों को प्राधिकरण की 55वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या–55/12 दिनांक 14.03.2016 में लिये गये निर्णय के आधार पर सुविधावधि प्राप्त करने हेतु दिनांक 31.07.2017 तक लिखित रूप से आवेदन करना होगा। उक्त सुविधा प्राप्त करने हेतु आवंटी को दिनांक 31.07.2017 तक प्राधिकरण में लिखित रूप से आवेदन के साथ भूखण्ड के सापेक्ष डिफाल्टिड धनराशि (प्रीमियम + अतिरिक्त प्रतिकर) का 5 प्रतिशत एक मुश्त भुगतान करना होगा। विस्तृत जानकारी के लिये प्राधिकरण की बेवसाईट www.yamunaexpresswayauthority.com पर प्राप्त की जा सकती है। यह सुविधा अंतिम होगी एवं इसके पश्चात् अनुमन्य नहीं होगी।

विशेष कार्याधिकारी/
प्रभारी अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, ब्लॉक–पी–2, सेक्टर ओमेगा–1, ग्रेटर नौएडा सिटी – 201308,जिला–गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0)

दूरभाष न0 – 0120 – 2395201, फैक्स न0 – 0120 – 2395150